न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2018 G.C.M.S. No. 2018/00067 दर्ज दिनांक : 08.02.2018

अपीलार्थीगण:

1. अमृतलाल पुत्र स्व. रामकुमार, उम्र 47 वर्ष, जाति ननवाणा बोहरा, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. मृतक रामकुमार पुत्र स्व. सुखेदव के कायम मुकाम:–
   1/1 मांगीदेवी पुत्री रामकुमार, उम्र वयस्क
   1/2 मणीदेवी पुत्री रामकुमार, उम्र वयस्क, जातिगण ननवाणा बोहरा, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली।
2. मृतक सत्यनारायण पुत्र स्व. रामकुमार के कायम मुकाम:–
   2/1 ललीता देवी पत्नि स्व. सत्यनारायण, उम्र 53 वर्ष
   2/2 अर्जुनलाल पुत्र स्व. सत्यनारायण, उम्र 27 वर्ष
   2/3 सोनु पुत्री स्व. सत्यानारायण, उम्र 25 वर्ष
   2/4 डिम्पल पुत्री स्व. सत्यनारायण, 23 वर्ष, तमाम जातिगण ननवाणा बोहरा, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली।
3. टीपुदेवी पत्नि भीकाराम उम्र वयस्क, जाति चौधरी, निवासी नाडोल, तहसील देसूरी, ज़िला पाली।
4. तहसीलदार देसूरी जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध संख्या 37/16 बअनवान अमृतलाल बनाम मांगीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.02.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पी.एम. जोशी, श्री सी.पी. सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक: 30.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध संख्या 37/16 बअनवान अमृतलाल बनाम मांगीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद कम संख्या 22/10 धारा 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वाद में रेस्पोरेन्ट के नोटिस तामिल होकर जवाब दावे प्रस्तुत किये। इस दरम्यान रेसपोंडेन्ट सत्यनारायण की मृत्यु हो गई। जिसके कायम मुकाम के रेकर्ड पर दिनांक 17.02.2016 को लिये गये व प्रतिवादी संख्या 02 सत्यनारायण के कायम मुकाम के जवाब हेतु दिनांक 29.02.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। लेकिन उपरोक्त पत्रावली में कार्यरत कर्मचारी सोहनलाल हीरागर द्वारा पत्रावली मे हेर-फेर करने के लिए वादी के अधिवक्ता से कोर्ट परिसर में बदतमीजी से पेश आकर दबाव बनाने की कोशिश की। जिसके सम्बन्ध में वादी के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक शिकायत कर्मचारी सोहनलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जिस बदनियतिवश उक्त कर्मचारी ने दिनांक 15.03.2016 को पत्रावली में अदम पैरवी अदम हाजरी की आदेशिका लिखकर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया, जबकि उसी दिनांक को वादी के अधिवक्ता की अधिनस्थ न्यायालय में जोगाराम बनाम सरकार पत्रावली तारीख पेशी में लगी हुई थीं। जिसमें वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पैरवी की थीं। इस प्रकार बदनियतिवश गलत आदेशिका कर्मचारी सोहनलाल द्वारा पत्रावली में लिखकर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश की प्रतिलिपि नकल लेकर वाद को पुनः रेस्टोर करने बाबत् प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र भी प्रारम्भिक चरण पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजिरी में विधिविरूद्ध रूप से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अपीलान्ट का वाद प्रतिवादी के कायम मुकाम के जवाब हेतु नियत था। इसलिए अपीलान्ट का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज योग्य नहीं था। इसलिए भी अपीलान्ट का वाद रेस्टोर किए जाने योग्य है। साथ ही अपीलांट को समुचित साक्ष्य, सबूत पेश करने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट बम्बई में रोजगार करता है। जो साल में एक बार अपने गांव नाडोल आता है। इसलिए अपने अधिवक्ता के विश्वास में रहा, जिसको उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश की जानकारी नहीं थीं। जो अभी वर्तमान में सर्दियों की छुट्टियों में ग्राम नाडोल आया तब अपने अधिवक्ता से मिला व अपने प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, तब जानकारी में आया कि वादी के वाद को रेस्टोर कराने बाबत् जो प्रार्थना पत्र पेश किया, उसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। वाद संख्या 22/10 को अदम पैरवी व अदम हाजरी की जानकारी अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को जैसे ही हुई तो उन्होंने उक्त वाद पुनः रेस्टोर करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके क्रम संख्या 37/16 है। उक्त प्रार्थना पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया। जिसकी प्रतिलिपि लेने पर उक्त आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जानकारी हुई हैं। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही प्रकरण में अपीलान्ट अपने अधिवक्ता के भरोसे रहा व बाहर रोजगार होने से प्रत्येक पेशी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता था व अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में व हाजरी में खारिज कर दिया। जिस बाबत् अपीलान्ट की कोई गलती नहीं हैं तथा अपीलान्ट को अपने अधिवक्ता की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए अपीलान्ट का रेस्टोर का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपीलान्ट को वाद की सुनवाई करने का अवसर प्रदान करावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.03.2016 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा उक्त वादपत्र के रेस्टोरेशन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.02.2017 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 16.01.2018 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता के मार्फत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधिवक्ता के विश्वास पर प्रार्थी वापस मुंबई चला गया। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की पैरवी नहीं करने पर प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नहीं दी गई। छुटि्टयों में प्रार्थी के गावं आने पर अधीनस्थ न्यायालय में पता करने पर प्रार्थना पत्र खारिज होने की जानकारी हुई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक मानते हुए विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वस्तुतः दो आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विरूद्ध अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील प्रकरण संख्या 22/2010 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 एवं राजस्व विविध प्रकरण संख्या 37/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2017 के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई हैं। जो विधिनुसार पोषणीय नहीं हैं। अतः अपील खारिज फरमावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा विधिक भूल एवं सद्भाविक अज्ञानतावश दो आदेश के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थी आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध अनुतोष को तर्क करता है। अतः तर्कशुदा अनुतोष को संशोधन कर डिलीट करने का आदेश प्रदान करावें।

4. हमारे विनम्र मत में चूंकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया गया कि सद्भाविक भूल से अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दो पृथक-पृथक आदेश के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत कर दी गई। जिनमें से अपीलांट आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करना नहीं चाहता। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अधिवक्ता अपीलांट की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 को विलोपित किये जाने एवं उक्त आदेश के विरूद्ध वांछित अनुतोष को विधारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन उपरांत यह सुस्पष्ट है कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी में पारित आदेश दिनांक 04.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। हमारे विनम्र मत में प्रकरण में महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह है कि क्या आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कानूनन ग्राह्य/अनुमत है या नहीं ? इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 43 के विधिक प्रावधान महत्वपूर्ण है। आदेश 43 नियम 21(ग), (घ) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की दशा में कानूनन अपील अनुमत है। आदेश 9 नियम 4 के आवेदन को अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध कानूनन प्रथम अपील अनुमत नहीं हैं। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत अपील कानूनन ग्राह्य व अनुमत नहीं होने से पोषणीय नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विधिक रूप से ग्राह्य व अनुमत नहीं होने से पोषणीय नहीं हैं। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली